बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं0–पि0व0/2/ब0 एवं आ0–17–23/2022– 80 पटना, दिनांक– 29/9/25

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचंद पटेल पथ,
बिहार, पटना ।

विषयः **वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्र/छात्राओं के लिए प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृति प्रदान करने हेतु ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना'' अन्तर्गत कुल रू0 39.36 करोड़ (रू0 उनचालीस करोड छत्तीस लाख़) मात्र की स्वीकृति।**

आदेश– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–67, दिनांक–10.01.2023 द्वारा राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा–I से X तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना'' के संचालन एवं दिशा–निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2–वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति (277 शिक्षा) मद में कुल रू० 39.36 करोड़ (रू0 उनचालीस करोड छत्तीस लाख़) मात्र की राशि प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु राशि का व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3–उक्त संपूर्ण राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम माँग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्ययक मुख्य शीर्ष ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण के लघु शीर्ष–277–शिक्षा, उप शीर्ष–0101 शिक्षा, विषय शीर्ष–34–छात्रवृत्ति/वजीफा (0101–34–01–छात्रवृत्ति/वजीफा), विपत्र कोड 11–2225–03–277–0101 के अधिन विकलनीय होगा।

4–इस स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। संकल्प संख्या–67, दिनांक–10.01.2023 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

5–शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी छात्रवृति की राशि निकासी कर DBT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में राशि का अन्तरण करेंगे। छात्रवृति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेंगे।

6–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998, वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3808, दिनांक–02.06.2017 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7–उक्त स्वीकृत राशि की निकासी BTC-43 में किया जाएगा।

8–जिला पदाधिकारी छात्रवृत्ति वितरण का अनुश्रवण करेंगे कि लाभान्वित होने वाले छात्र/छात्राओं को बैंक खाता के माध्यम से राशि का अन्तरण किया जा रहा है।

9–स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अंतर्गत है।

10–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाए। राशि की उतनी ही निकासी की जाए, जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक–31.03.2026 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नगद के रूप में नहीं रख जाए।

P.T.O

Scanned with OKEN Scanner

11–प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12–प्रस्ताव में प्रधान सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

13–सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

14–कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,

24/9/25

(अनिल कुमार ठाकुर)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/2/ब0 एवं आ0–17–23/2022– 80 पटना, दिनांक– 24/9/25

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/9/25

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/2/ब0 एवं आ0–17–23/2022– 80 पटना, दिनांक– 24/9/25

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/9/25

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/2/ब0 एवं आ0–17–23/2022– 80 पटना, दिनांक– 24/9/25

प्रतिलिपि–सभी जिला कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/25

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/2/ब0 एवं आ0–17–23/2022– 80 पटना, दिनांक– 24/9/25

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट प्रशाखा/आई0 टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/9/25

सरकार के अपर सचिव।

Scanned with OKEN Scanner